तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम प्रवीण शर्मा प्रार्थना पत्र संख्या 125/2024 अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम ।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-8-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/2024/824 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया। जिससे कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.08.2024 को जारी किया गया। अप्रार्थी को समन जारी किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र बाबत् आवश्यक सुनवाई का पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया कि ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 33/14 भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की है। उक्त भूमि का मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि मैंने मेरी भूमि को कृषि आधारित उद्योग हेतु संपरिवर्तित करवाने के लिए धारा 90–ए भू–राजस्व अधिनियम के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन हैं, जिसके न. LU2012/JDO/2022/23/101447, South Zone Jodhpur. कोई भी किसान अपनी भूमि पर बिना सपरिवर्तन करवाये ही कृषि से संबंधित उद्योग लगा सकता है एवं उसे उपयोग एवं उपभोग में ला सकता है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, जो हानिप्रद हो एवं किसी भी शर्त की अवहेलना करता है तथा मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई भी विधि विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर अन्तर्गत 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण को ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन अवलोकन किया। अप्रार्थी के जबाव का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि को कृषि आधारित उद्योग हेतु संपरिवर्तित करवाने के लिए धारा 90–ए भू–राजस्व अधिनियम के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में धारा 90–ए के तहत आवेदन किया जा चुका है। अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये ही कृषि से संबंधित उद्योग लगाने हेतु अवगत करवाया है। अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव के तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	